न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
पत्रावली संख्या : 09/24 (अपील)
GCMS No. : 2024/300

अनवान्

1. श्री प्रकाश पिता दलाराम डांगी निवासी कालीमगरी रख्यावल तहसील घासा।

.............अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री प्रभुलाल पिता कजोड डांगी निवासी पीपली का कुंआ महाराज की खेडी तहसील वल्लभनगर।

.......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्।
2. श्री विजय आमेटा, रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. घासा, बाबत ना. सं. 346 दि. 02.02.2024

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 27.01.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत घासा बाबत् नामान्तरण संख्या 346 दिनांक 02.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि नामान्तरकरण संख्या 346 ग्राम दुर्गावतो का नोहरा पटवार हल्का घासा द्वारा दिनांक 02.02.2024 को विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 के आधार पर दिनांक 18.01.2024 को पटवारी हल्का द्वारा खोला गया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2024 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं।
2. यह कि विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 में वर्णित विक्रय राशि 1,50,000/– रूपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये जरिये चैक संख्या 073566 दिनांकित 05.12.23 आईडीबीआई शाखा मोडी कुराबड का चैक रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को विक्रय राशि 1,50,000/– रूपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये का भरकर सिपूर्द कर दिया व अपीलान्ट ने मौजा दुर्गा[illegible] नोहरा के आराजी नम्बर 2388 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट का 1/44 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 से रेस्पोडेन्ट को विक्रय कर दिया व रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को यह विश्वास दिलाया कि उक्त विक्रय पत्र में अंकित विक्रय राशि का चैक संख्या 073566 दिनांक 05.12.2023 से अपीलान्ट को विक्रय राशि की अदायगी हो जायेगी व अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट पर विश्वास कर उक्त विक्रय पत्र की रजिस्ट्री रेस्पोडेन्ट के पक्ष में करवा दी।

3. यह कि विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 में वर्णित विक्रय राशि प्राप्त करने हेतु विक्रय राशि का चैक अपीलान्ट ने अपने बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिरणमगरी में प्रस्तुत किया जो उक्त चैक रेस्पोडेन्ट के बैंक द्वारा रिटर्न मेमो में अपर्याप्त राशि की टिप्पणी के साथ दिनांक 20.01.2024 को अपीलान्ट को बिना भुगतान किये चैक वापसी ज्ञापन के साथ लौटा दिया इस तरह विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 में वर्णित विक्रय राशि अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुई व रेस्पोडेन्ट भी अच्छी तरह से जान रहा था कि मेरे बैंक खाते में अपर्याप्त राशि है फिर भी अपीलान्ट को धोखा देने की नियत से विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 में वर्णित विक्रय राशि का चैक अपीलान्ट को देकर अपीलान्ट की उक्त भूमि हडपने की नियत से उक्त कृत्य किया है जिसके लिए अपीलान्ट ने अलग से अपराध अन्तर्गत धारा 138 प्रक्राम्य विलेख अधिनियम की फौजदारी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में कर रखी है तथा उक्त विक्रय राशि अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुई जिसकी जानकारी अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 के आधार पर कथित नामान्तरकरण खोलकर स्वीकृत करने में भारी भूल की हैं।

4. यह कि विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 में वर्णित विक्रय राशि अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुई है व कानूनन प्रतिफल राशि जहां विक्रेता को प्राप्त नहीं होने का प्रथम दृष्टया कारण हो वहां उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी भूल की हैं।

5. यह कि रेस्पोडेन्ट को भी अच्छी तरह से जानकारी थी कि विक्रय पत्र दिनांक 06.12.23 में वर्णित विक्रय राशि अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुई है फिर भी रेस्पोडेन्ट पटवारी हल्का से मिलीभगत कर कथित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

खुलवा अधीनस्थ न्यायालय से कथित नामान्तरण स्वीकृत करवा लिया है जो काबिल निरस्त होने योग्य हैं।

6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय को भी कथित विक्रय पत्र में वर्णित विक्रय राशि अपीलान्ट को प्राप्त नहीं होने की जानकारी होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरण को निरस्त नहीं कर स्वीकृत करने में भारी भूल की हैं।
7. यह कि विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 में वर्णित आराजीयात में 1/44 हिस्से पर कब्जा आज भी अपीलान्ट का है अपीलान्ट ने न तो रेस्पोडेन्ट को कब्जा सिपूर्द किया है, न ही रेस्पोडेन्ट ने उक्त 1/44 हिस्से का कब्जा प्राप्त किया है बिना कब्जे की जांच किये व बिना कब्जे की टिप्पणी किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित नामान्तरण स्वीकृत किया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य हैं।
8. यह कि अपीलान्ट के कब्जे की भूमि पर रेस्पोडेन्ट कथित नामान्तरण के आधार पर दिनांक 05.07.2024 को मौके पर फसल बोने का असफल प्रयास किया व अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को बिना विक्रय राशि प्राप्त किये अपने हिस्से की आराजीयात पर फसल नहीं बोने दी तो रेस्पोडेन्ट ने धमकी दी कि उक्त आराजीयात मेरे खातेदारी में दर्ज हैं मै कभी भी झुठी फौजदारी कार्यवाही करके कब्जा प्राप्त कर लूंगा तो अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास कथित नामान्तरण की जानकारी करने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि विक्रय पत्र दिनांक 06.12.23 के आधार पर रेस्पोडेन्ट के नाम पर नामान्तरकरण खुलकर स्वीकृत हो चुका है तो अपीलान्ट ने कथित नामान्तरण की नकल प्राप्त कर अपील के खर्चे की व्यवस्था कर वकील मुकर्रर कर कथित नामान्तरण की अपील प्रस्तुत की है जो जानकारी से अन्दर अवधि है फिर भी धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं।
9. अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 346 दुर्गावतो का नोहरा को निरस्त फरमाया जाने का आदेश बक्षाया जावें।
10. धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 346 ग्राम दुर्गावतों का नोहरा, पटवार हल्का घासा द्वारा दिनांक 02.02.2024 को विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 के आधार पर दिनांक 18.01.2024 को पटवारी हल्का द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

खोला गया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2024 को उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं।

11. यह कि विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 में वर्णित विक्रय राशि 1,50,000/—रूपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये जरिये चेक संख्या 073566 दिनांकित 05.12.2023 आईडीबीआई शाखा मोड़ी, कुराबड़ का चौक रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को विक्रय राशि 1,50,000/— रूपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये का भरकर सिपुर्द कर दिया व अपीलान्ट ने मौजा दुर्गावतों का नोहरा के आराजी नम्बर 2388 में अपीलान्ट का 1/44 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 से रेस्पोडेन्ट को विक्रय कर दिया व रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को यह विश्वास दिलाया कि उक्त विक्रय पत्र में अंकित विक्रय राशि का चेक संख्या 073566 दिनांक 05.12.2023 से अपीलान्ट को विक्रय राशि की अदायगी हो जायेगी व अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट पर विश्वास कर उक्त विक्रय पत्र की रजिस्ट्री रेस्पोडेन्ट के पक्ष में करवा दी। अपीलान्ट के कब्जे की भुमि पर रेस्पोडेन्ट कथित नामान्तरण के आधार पर दिनांक 05.07.2024 को मौके पर फसल बोने का असफल प्रयास किया व अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को बिना विक्रय राशि प्राप्त किये अपने हिस्से की आराजीयात पर फसल नहीं बोने दी तो रेस्पोडेन्ट ने धमकी दी कि उक्त आराजीयात मेरे खातेदारी में दर्ज हैं मैं कभी भी झुठी फौजदारी कार्यवाही करके कब्जा प्राप्त कर लूंगा तो अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास कथित नामान्तरण की जानकारी करने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 के आधार पर रेस्पोडेन्ट के नाम पर नामान्तरण खुलकर स्वीकृत हो चुका हैं तो अपीलान्ट ने कथित नामान्तरण की नकल प्राप्त कर अपील के खर्चे की व्यवस्था कर वकील मुकर्रर कर कथित नामान्तरण की अपील प्रस्तुत की हैं जो जानकारी से अन्दर अवधि हैं।

12. यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने कथित नामान्तरण की अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर कोई देरी नहीं की हैं, देरी का पर्याप्त कारण हैं व न्याय के लिये देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाना आवश्यक हैं।

13. अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाने का आदेश बक्षाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

14. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट् को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं कब्जे मौके को देखते हुए नामान्तरकरण के सम्बन्ध में निर्णय दिया हैं। अपीलार्थी ने विवादित नामान्तरकरण में वर्णित आराजीयात का विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2023 को मुझ रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित किया तथा विक्रय–पत्र में स्वंय अपीलार्थी ने विक्रय–पत्र में सशपथ बताया कि आज दिनांक को उक्त जमीन का कब्जा आप रेस्पोडेन्ट को सिपुर्द कर दिया अब कोई लेना–देना शेष नही है उसके बाद अपीलार्थी ने मेरे पक्ष में उक्त जमीन का विक्रय–पत्र निष्पादित किया गया, तब से मै रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर खेती करता चला आ रहा हूं एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का पंजीयन कराने के बाद अपीलार्थी के मन में लालच उत्पन्न हो गया और उक्त रूपयो की मांग करने लगा, जिस पर मेरे द्वारा मना करने पर अपीलार्थी मेरे साथ लडाई–झगडा करने पर उतारू हुआ, इस बात की ताईद स्वंय अपीलार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत अपील में बताया कि कब्जा आज भी अपीलार्थी का है, कब्जे के लिये अपीलार्थी द्वारा बार–बार लडाई–झगडा किया जा रहा है, विक्रय–पत्र में वर्णित विक्रय राशि बाबत् जो चेक अनादरित हो गया है उसकी कार्यवाही भी अपीलार्थी ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली में प्रस्तुत कर रखी है, जिसके प्रकरण सख्या–198/2024 है। इस तरह अपीलार्थी मेरी चेक राशि भी हडपना चाहता है तथा भूमि को भी मुझ रेस्पोडेन्ट से हडपना चाहता है, जिस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण भी खारिज होने योग्य है।

15. यह कि अपीलार्थी ने विक्रय–पत्र दिनांक–06.12.2023 निष्पादित कराने के तुरन्त बाद ही लडाई–झगडा करने लगा तथा विक्रय–पत्र में वर्णित राशि को प्राप्त करने के लिये नोटिस बाजी करने लगा। पूर्व में अपीलार्थी द्वारा मुझ विपक्षी को अपने अधिवक्ता के माध्यम् से नोटिस प्रेषित किया गया तथा विक्रय–पत्र में वर्णित चेक राशि के सम्बन्ध में वसुली हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की धमकी दी तथा चेक में वर्णित राशि बाबत् अपीलार्थी द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली में वाद भी प्रस्तुत कर रखा है तथा अपीलार्थी ने अपनी नामान्तकरण अपील में ग्राम पंचायत को विक्रय–प्रतिफल की राशि नहीं मिलने के आधार पर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अपीलार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

मनगढ़त तथ्यो के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की है जिस कारण उक्त अपील खारिज होने योग्य है।

16. यह कि विक्रय–प्रतिफल राशि के नहीं मिलने के आधार का सरोकार नामान्तकरण के वैध होने एवं अवैध होने से नही होता है, अगर अपीलार्थी को विक्रय–प्रतिफल की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त करने के बाबत् अपीलार्थी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली में चौक अनादरण का परिवाद प्रस्तुत कर दिया है जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा चौक में वर्णित विक्रय प्रतिफल राशि नही मिलने पर अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्र निरस्तीकरण का वाद प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु अपीलार्थी केवल मात्र मिथ्या तथ्यो के आधार पर न्यायालय को गुमराह कर मेरा नामान्तकरण निरस्त करवाने पर आमादा है, जिसका उसको कोई विधिक अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत एवं पटवारी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र को जांच करते हुऐ उक्त दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो निरस्त करने योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने चेक विक्रय प्रतिफल राशि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का कोई दस्तावेज नही पेश किये है। ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र में अपीलार्थी द्वारा विक्रय राशि प्राप्त करने एवं लेना–देना शेष नही होने की सहमति होने के तथ्यो को पढ़ कर एवं मौके की जांच करते हुऐ नामान्तकरण किया है जो सही है।

17. यह कि अपीलार्थी ने दिनांक 06.12.2023 को निष्पादित विक्रय पत्र में सम्पुर्ण राशि प्राप्त करते हुऐ कब्जा सिपुर्द कर दिया था, केवल मात्र और अधिक रूपया प्राप्त करने की नियत को रखते हुऐ अपीलार्थी द्वारा अपना कब्जा बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलार्थी ने कब्जा सिपुर्द होना बताया है, उक्त नामान्तकरण सही तथ्यो की जांच करते हुऐ खोला गया है जो निरस्त होने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक–06.12.2023 को सम्पुर्ण विक्रय राशि प्राप्त करते हुऐ उक्त भूमि का कब्जा सिपुर्द कर दिया था तथा विवाद होने पर एवं चेक के अनादरण होने पर अपीलार्थी द्वारा फरवरी माह में मुझ रेस्पोडेन्ट को पंजीकृत नोटिस प्रेषित किया था जिसमें आप अपीलार्थी स्वंय ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि दिनांक–06.12.2023 को उप पंजीयन घासा में आप स्वंय उपस्थित हुऐ तथा उक्त भूमि का पंजीयन मुझ रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पंजीकृत किया था उक्त नोटिस में आपने कब्जे के बारे में कोई जिक्र नही किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

आप केवल मात्र चेक राशि के भुगतान एवं मेरी भूमि को हडपने की नियत से उक्त मुकदमेंबाजी कर रहे है, जबकि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को चेक अनादरण होने तथा अपीलार्थी के द्वारा नोटिस देने के बीच के समय में विक्रय राशि का भुगतान नकद रूप से कर दिया था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा न तो चेक दिया गया न ही कोई लिखापढी निष्पादित की गई थी।

18. अन्त में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील विधि विरूद्ध होने, जानबुझकर मियाद बाहर प्रस्तुत करने से उक्त अपील संव्यय खारिज फरमाई जावें।

19. धारा 5 अवधि अधिनियम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि विक्रय–पत्र दिनांक–06.12.2023 से ग्राम पंचायत द्वारा मौका जांच करते हुऐ पंचो के समक्ष कौरम में विधिवत् रूप से नामान्तकरण स्वीकार किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को थी। यह कि अपीलार्थी द्वारा मुझ रेस्पोडेन्ट से उक्त जमीन के सौदे से पूर्व ईकरार के वक्त ही उक्त जमीन का कब्जा सिपुर्द कर दिया था जिस पर मैने अपीलार्थी पर विश्वास करते हुऐ उक्त भूमि का विक्रय–पत्र दिनांक–06.12.2023 को निष्पादित करवाया तथा उक्त विक्रय–पत्र में स्वंय अपीलार्थी ने उक्त भूमि का कब्जा सिपुर्द करने की बात विक्रय–पत्र में अंकन करवायी है परन्तु अपीलार्थी के मन में लालच–उत्पन्न हो जाने से और अधिक रूपयो की मांग करने लगा तथा धमकीया देने लगा कि मुझे और पैसे दे दो नही तो जमीन पर आना मुश्किल कर दूंगा। उक्त विक्रय की गई भूमि पेटे दिये गये चौक राशि से अधिक रूपयो की मांग करने तथा जमीन पर कब्जा करने पर उतारू हुआ और लडाई–झगडा करने लगा। नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थी को माह–फरवरी में भी हो चुकी थी, परन्तु अपीलार्थी मुझे जानबुझकर परेशान करता रहा ताकि मै मजबुर होकर उसको पैसे अदा कर दूं, तथा मेरे द्वारा पैसे नहीं देने पर अपीलार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र में दी गई दिनांक को मनगढ़त तथ्यो के आधार पर पेश कर उक्त अपील को परिसीमा में बताया है, जबकि नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थी को फरवरी माह में हो जाने से तथा नियत अवधि में अपील प्रस्तुत नही करने की वजह से धारा–05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

20. यह कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय–पत्र दिनांक–06.12.2023 से कब्जा मुझ विपक्षी को सिपुर्द कर दिया उक्त दिनांक–20[illegible] का वाक्या अपीलार्थी ने मनगढ़त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है ताकी अपनी अपील को तय समय सीमा में प्रस्तुत होना बता सकें, जिस कारण भी अपील मियाद बाहर होने की वजह से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य है। अपीलार्थी ने मुझ विपक्षी को तंग व परेशान करने एवं तय राशि से अधिक राशि प्राप्त करने की नियत से प्रार्थना–पत्र जानबुझकर विलम्ब से पेश किया है जिस कारण उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील विधि विरूद्ध होने, जानबुझकर मियाद बाहर प्रस्तुत करने से उक्त प्रार्थना–पत्र संव्यय खारिज फरमाई जावें।

21. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना धारा 5 अवधि अधिनियम एवं अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट् द्वारा दौराने बहस अपील व धारा 5 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

22. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 346 दिनांक 02.02.2024 को ग्राम पंचायत घासा द्वारा पारित किया गया है। जहॉ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने से पूर्व न तो अपीलाण्ट् को सुना गया है और न हीं सूचना दी गई है। इस कारण से अपीलान्ट् को उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं था। अपीलाण्ट् का यह कथन माने जाने योग्य है। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं।

अपीलान्ट् का कथन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट से भूमि क्रय की गई जिसका ग्राम पंचायत घासा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 346 दिनांक 02.02.2024 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पारित किया गया परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को भूमि [illegible] में जिस राशि का चेका दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested

था वह चेक अपर्याप्त राशि के कारण बैंक द्वारा पुनः अपीलान्ट को लौटा दिया गया। इस कारण से अपीलान्ट को विक्रय राशि प्राप्त नहीं हुई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि नामान्तरकरण में वर्णित भूमि अपीलान्ट स्वयं द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट को विक्रय की गई हैं। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। अपीलान्ट को चेक राशि प्राप्त हुई है या नहीं इसके आधार पर नामान्तरकरण रोकने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण पारित करने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की गई हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अपीलान्ट केवल मात्र उक्त भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा दिये गये चेक की राशि प्राप्त नहीं होने से उक्त अपील पेश की गई है, जिसका क्षेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। यदि अपीलान्ट को चेक राशि प्राप्त नहीं हुई है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त करनी चाहिए थी। उक्त आधार पर नामान्तरकरण खारिज नहीं किया जा सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट् मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:34 IST
Reason: SelfAttested